रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 1976/ज्येष्ठ 26, 1898

No. 199] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 1976/JYAISTHA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June 1976

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), and in supersession of the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat, Department of Personnel and Administrative Reforms No. S.O. 1712 dated the 16th May, 1976, in so far as it relates to the bringing into force of certain rules and regulations in the State of Sikkim, the Central Government after consulting the State Government of Sikkim, hereby directs that the rules and regulations specified, in the schedule hereto annexed shall be extended to and come into force, in the State of Sikkim with immediate effect

SCHEDULE

PART I—RULES COMMON TO ALL THE ALL INDIA SERVICES

Sl No

1 AIS (Leave) Rules, 1955.

2 AIS (Special Disability Leave) Regulations 1957

3 AIS (Study Leave) Regulations, 1960.

4. A.I.S. (Medical Attendance) Rules, 1954.
5. A.I.S. (Provident Fund) Rules, 1955.
6. A.I.S. (Compensatory Allowance) Rules, 1954.
7. A.I.S. (Travelling Allowance) Rules, 1954.
8. A.I.S. (Conduct) Rules, 1968.
9. A.I.S. (Discipline and Appeal) Rules, 1969.
10. A.I.S. (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.
11. A.I.S. (Commutation of Pension) Regulations, 1960.
12. A.I.S. (Condition of Service Residuary Matters) Rules, 1960.
13. A.I.S. (Overseas Pay, Passages and Leave Salary) Rules, 1957.
14. A.I.S. (Remittances into and payments from Provident and Family Fund), Rules, 1958.

PART II—RULES APPLICABLE TO THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE

15. I.A.S. (Cadre) Rules, 1954.
16. I.A.S. (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
17. I.A.S. (Recruitment) Rules, 1954.
18. I.A.S. (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1955.
19. I.A.S. (Appointment by Selection) Regulations, 1956.
20. I.A.S. (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.
21. I.A.S. (Probation) Rules, 1954.
22. I.A.S. (Probationer's Final Examination) Regulations, 1955.
23. I.A.S. (Pay) Rules, 1954.
24. I.A.S. (Regulation of Seniority) Rules, 1954.

PART III—RULES APPLICABLE TO THE INDIAN POLICE SERVICE

25. I.P.S. (Cadre) Rules, 1954.
26. I.P.S. (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
27. I.P.S. (Recruitment) Rules, 1954.
28. I.P.S. (Appointment by Competitive Examination) Regulations 1955.
29. I.P.S. (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.
30. I.P.S. (Probation) Rules, 1954.
31. I.P.S. (Probationer's Final Examination) Regulations, 1965.
32. I.P.S. (Pay) Rules, 1954.
33. I.P.S. (Regulation of Seniority) Rules, 1954.
34. I.P.S. (Uniform) Rules, 1954.

PART IV—RULES APPLICABLE TO THE INDIAN FOREST SERVICE

35. I.F.S. (Cadre) Rules, 1966.
36. I.F.S. (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966.
37. I.F.S. (Recruitment) Rules, 1966.
38. I.F.S. (Initial Recruitment) Regulations, 1966.
39. I.F.S. (Appointment by Competitive Examination) Regulations 1967.
40. I.F.S. (Appointment by Promotion) Regulations, 1966.
41. I.F.S. (Probation) Rules, 1968.
42. I.F.S. (Probationer's Final Examination) Regulations, 1968.
43. I.F.S. (Pay) Rules, 1968.
44. I.F.S. (Regulation of Seniority) Rules, 1968.

[No. 11012/2/75-AIS(I)]

M. R. BHARDWAJ, Dy. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

सा० का० नि० 399(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० 1712 तारीख 16 मई, 1976 की, जहां तक उसका संबंध सिक्किम राज्य में कतिपय नियमों और विनियमों को प्रवृत्त करने से है, अधिक्रांत करते हुए, सिक्किम राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियम और विनियम तात्कालिक प्रभाव से सिक्किम राज्य में विस्तारित और प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

भाग I—सभी अखिल भारतीय सेवाओं के लिये (सामान्य) नियम

क्रम संख्या

1 अ०भा०से० (छुट्टी) नियम, 1955

2 अ०भा०से० (विशेष निःशक्तता छुट्टी) विनियम, 1957

3 अ०भा०से० (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960

4 अ०भा०से० (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954

5 अ०भा०से० (भविष्य निधि) नियम, 1955

6 अ०भा०से० (पारिश्रमिक भत्ता) नियम, 1954

7 अ०भा०से० (यात्रा भत्ता) नियम, 1954

8 अ०भा०से० (आचरण) नियम, 1968

9 अ०भा०से० (अनुशासन और अपील) नियम, 1969

10 अ०भा०से० (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958

11 अ०भा०से० (पेंशन का परिवर्तन) विनियम, 1960

12 अ०भा०से० (सेवा की शर्तें-प्रवशिष्ट मामले) नियम, 1960

13 अ०भा०से० (विदेश वेतन, यात्रा व्यय और छुट्टी संबन्धम) नियम, 1957

14 अ०भा०से० (भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि में विप्रेषण और उनमें से संदाय) नियम, 1958

भाग II—भारतीय प्रशासन सेवा पर लागू होने वाले नियम

15 भा०प्र०से० (कॉडर) नियम, 1954

16 भा०प्र०से० (कॉडर सदस्य संख्या का नियतन) विनियम, 1955

17 भा०प्र०से० (भर्ती) नियम, 1954

18 भा०प्र०से० (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955

19 भा०प्र०से० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955

20 भा०प्र०से० (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956

21 भा०प्र०से० (परिवीक्षा) नियम, 1954

22 भा०प्र०से० (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1955

23 भा०प्र०से० (वेतन) नियम, 1954

44 भा०प्र०से० (ज्येष्ठता विनियम) नियम, 1954

भाग III—भारतीय पुलिस सेवा पर लागू होने वाले नियम

25 भा०पु०से० (कैडर) नियम, 1954

26 भा०पु०से० (कैडर सदस्य संख्या का नियतन) विनियम, 1955

27 भा०पु०से० (भर्ती) नियम, 1954

28 भा०पु०से० (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955

29 भा०पु०से० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955

30 भा०पु०से० (परिवीक्षा) नियम, 1954

31 भा०पु०से० (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1965

32 भा०पु०से० (वेतन) नियम, 1954

33 भा०पु०से० (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1954

34 भा०पु०से० (वर्दी) नियम, 1954

भाग IV—भारतीय वन सेवा पर लागू होने वाले नियम

35 भा०व०से० (कैडर) नियम, 1966

36 भा०व०से० (कैडर सदस्य संख्या का नियतन) विनियम, 1966

37 भा०व०से० (भर्ती) नियम, 1966

38 भा०व०से० (प्रारंभिक भर्ती) विनियम, 1966

39 भा०व०से० (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967

40 भा०व०से० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966

41 भा०व०से० (परिवीक्षा) नियम, 1968

42 भा०व०से० (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1968

43 भा०व०से० (वेतन) नियम, 1968

44 भा०व०से० (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1968

[सं० 11012/2/75-अ० भा० से० (I)]

एम० आर० भारद्वाज, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976